HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 18 — HLA OF 2023

THE HARYANA SETTLEMENT OF OUTSTANDING DUES (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Act, 2023. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause (ii) of section 2 of the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), for the words, figures and sign "upto the 31st March, 2017", the words, figures and sign "upto the 30th June, 2017" shall be substituted. Amendment of section 2 of Haryana Act 35 of 2017.

3. In section 3 of the principal Act, for the words, figures and sign "upto the 31st March, 2017", the words, figures and sign "upto the 30th June, 2017" shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 35 of 2017.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A new taxation system under the GST law has been implemented with effect from 01 July, 2017. Large amount of arrears including tax, penalty and interest, under the Acts administered by the Excise & Taxation Department are outstanding for a long time which are difficult to be recovered due to disputed demands at multiple levels and weak financial position of the defaulters. With a view to move ahead in the GST regime with lesser baggage of arrears and litigations and to expedite recovery of outstanding dues the State of Haryana needed to bring out Settlement Scheme(s) expediting recovery of outstanding dues under various Acts administered by the Department.

As there were no provision under the Acts administered by the Department under which a Scheme could be brought out for settlement of outstanding dues, therefore, with a view to enable the Government to notify one or more Scheme for settlement of outstanding dues in the Acts administered by the Department, the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 was enacted which defined 'Outstanding Dues upto the period of 31st March, 2017. This legislation was first enacted by way of Ordinance- the Haryana Settlement of Outstanding Dues Ordinance, 2017 and the first One Time Settlement Scheme for recovery of Outstanding Dues was introduced under the ordinance for the Outstanding Dues upto 31.03.2017. The period of 1st Quarter of the Financial Year 2017-18 remained out of the scope of this Act and the Scheme. Now the Government has decided to cover the remaining period upto 30th June, 2017 also, therefore, the amendment in the Act is required.

The amendment in clause 2(ii) 'Definition of Outstanding Dues' & Clause 3 of the Haryana Settlement of Outstanding Dues Act, 2017 (Haryana Act No. 35 of 2017) proposed by the Department, has been approved on 13.12.2023 by the Hon'ble Chief Minister, Haryana using the delegated power of the Cabinet of Ministers.

In order to give effect to the about decision, it will be necessary to introduce the Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Bill, 2023 in the Haryana Vidhan Sabha.

Hence this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister.
Haryana

Chandigarh :
The 14th December, 2023.

R.K. NANDAL,
Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 14th December, 2023, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA SETTLEMENT OF OUTSTANDING DUES ACT, 2017

(Haryana Act No. 35 of 2017)

2 (i) ********** Definitions

2 (ii) "outstanding dues" means any tax, interest, penalty or any other dues under any of the relevant Act, unpaid by a person, whether quantified or not, for the period **upto the 31st March, 2017**;

2 (iii) **********

3 Notwithstanding anything to the contrary contained in the relevant Act or rules framed thereunder, the Government may, by notification in the Official Gazette, notify one or more scheme for settlement of outstanding dues and matters connected therewith or incidental thereto covering payment of tax, interest, penalty or any other dues under the relevant Act which related to any period **upto the 31st March, 2017**, subject to such conditions and restrictions, as may be specified in the scheme, covering period of limitation, rate of tax, tax interest, penalty or any other dues payable by a person, importer, proprietor, owner, class of dealers, classes of dealers or all dealers. Framing of Scheme

---

10762—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–18 एच०एल०ए०

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ii) में, "31 मार्च, 2017 तक" अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "30 जून, 2017 तक" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, "31 मार्च, 2017 तक" अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "30 जून, 2017 तक" अंक, शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 कानून के तहत एक नयी कराधान प्रणाली लागू की जा चुकी है। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा प्रद्वत कानूनों के तहत कर, जुर्माना और शास्ति सहित बकाया भारी राशि देय है, जिसे कई स्तरों पर विवादित मांगों एवं बकाया देनदारों की कमजोर वित्तिय स्थिति के कारण वसूल कर पाना कठिन है। कम बकायों एवं मुकदमेबाजी से मुक्त जी0एस0टी0 शासन में आगे बढ़ने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए हरियाणा राज्य में विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के तहत व्यवस्थापन स्कीम लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई।

चूंकि विभाग द्वारा प्रशासित कानूनों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसके तहत विभाग, शासित विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया राशि के व्यवस्थापन के लिए एक स्कीम ला सके। इसलिए सरकार द्वारा एक या अधिक स्कीमों को अधिसूचित करने के लिए हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 को अधिनियमित किया गया, जिसमें "बकाया देय" में 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के बकाया परिभाषित किये गए। यह कानून पहली बार अध्यादेश के माध्यम से अधिनियमित किया गया तथा बकाया देयों की वसूली के लिए पहली एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 31 मार्च, 2017 तक के देयों के लिए अध्यादेश के तहत शुरू की गई। वित्तिय वर्ष 2017–18 की पहली तिमाही की अवधि इस अधिनियम और योजना के दायरे के बाहर रह गई। अब सरकार ने 30 जून, 2017 तक की शेष अवधि को भी इस अधिनियम के तहत लाने का निर्णय लिया है, इसलिए इस अधिनियम में संशोधन जरूरी है।

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 35) की धारा 2(ii) "बकाया देय" तथा धारा 3 में विभाग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा मंत्रीमण्डल की प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दिनांक 13.12.2023 को दे दी गई है।

उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा विधान सभा में हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करना आवश्यक होगा।

इसलिए यह विधेयक पेश किया जाता है।

दुष्यन्त चौटाला,
उपमुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

आर०के० नांदल,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गर्वनमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 से उद्धरण

(2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 35)

2 (i) ********** परिभाषाएं।

2 (ii) "बकाया देय" से अभिप्राय है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन **31 मार्च, 2017 तक** की अवधि के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान न किया गया कोई कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य देय, चाहे निर्धारित किया गया हो या नहीं;

2 (iii) **********

3. सुसंगत अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति, आयातकर्ता, मालिक, स्वामी, व्यवहारियों की श्रेणी, व्यवहारियों की श्रेणियों या सभी व्यवहारियों द्वारा परिसीमा काल, भुगतान योग्य कर की दर, कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों को शामिल करते हुए, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन, सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों, जो **31 मार्च, 2017 तक** की किसी अवधि से संबंधित हैं, के भुगतान को शामिल करते हुए बकाया देयों तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के व्यवस्थापन के लिए एक या अधिक स्कीम अधिसूचित कर सकती है। स्कीम बनाना।

10762—H.V.S.—H.G.P., Pkl.